[illegible] पत्रावली वास्ते
अवलोकन आदेश दिनांक 10/12/24
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

10/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा.का. अ. 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति निशा सहारण(आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38 / 2015

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. दयाल सिंह जाति राजूपत उम्र 40 साल
2. करण सिंह पुत्र स्व. दयाल सिंह जाति राजूपत उम्र 46 साल
3. नन्दू कंवर पत्नी स्व. श्री नोनन्द सिंह जाति राजूपत उम्र 46 साल
4. चन्दन कंवर पुत्री स्व. श्री नोनन्द सिंह जाति राजूपत उम्र 22 साल
5. बलवन्त सिंह पुत्र स्व. श्री नोनन्द सिंह जाति राजूपत उम्र 20 साल
6. ना. अजीत सिंह स्व. श्री नोनन्द सिंह जाति राजूपत उम्र 16 साल संरक्षक माता नन्दू कंवर पत्नी स्व. नोनन्द सिंह

सर्व निवासी ग्राम फलौदा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

–प्रार्थीगण

## बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर जिला अजमेर राज.।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 10/12/24

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री रामेश्वर लाल चौधरी
वकील अप्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामेश्वर लाल चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम फलोदा पटवार हल्का भोजियावास भू.अ.नि. खातोली तहसील किशनगढ की कृषि आराजी भूमि खाता सं0 नया 69 ख0नं0 506 / 238 रकबा 02.1034 हैक्टैयर प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व व कब्जे काश्त की है। उपरोक्त वर्णित आराजी के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की सरकारी भूमि खसरा संख्या 507 / 241 रकबा 0.1618 हैक्टेयर स्थित है जिसके आगे खसरा संख्या 242 किस्म रास्ता है जिस पर ग्रेवल रोड बनी हुई है, उक्त अप्रार्थी संख्या 01 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 507 / 241 में से होकर जाते हुये आगे जाकर खसरा संख्या 242 को जोडता है। उक्त उल्लेखित कृषि आराजीयात् में आने जाने का एक मात्र 30 फीट चौड़ा रास्ता है जिसमें प्रार्थी व उसके अन्य सहखातेदारान् प्रार्थना पत्र में उल्लेखित उनकी संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में आते जाते है तथा उक्त रास्ते का पिछले कई वर्षो से उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा इसी रास्ते से अपनी कृषि उपजो को लाने ले जाने कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाने वाले कृषि यंत्रों यानि ट्रेक्टर, ट्रोली, बैल, बैलगाड़ी व पालतू जानवर ले जाते रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड (नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी) में इन्द्राजात नहीं है तथा उल्लेखित रास्ता प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान् की आराजियात् में आने जाने का एक मात्र रास्ता है तथा इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। विधि के प्रावधानो के अनुसार हर कृषक अपनी कृषि आराजी में आने जाने हेतु रास्ते के उपयोग का अधिकार रखता है तथा जहा नक्शा ट्रेस में सार्वजनिक रास्ते का अंकन नहीं है वहा अपने पड़ौसी की कृषि आराजी से भी आने जाने का अपना हक अधिकार रखता है तथा राज्य सरकार ने भी धारा 251 रा0का0 अधिनियम 1955 में धारा 251(क) रा0का0 अधिनियम 1955 को संशोधन कर हर काश्तकार को अपनी कृषि आराजी में आने जाने का अधिकार दिया है। इसी कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित रास्ते को 30 फीट चौडा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावें एवं उक्त रास्ता प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 506/238 तक पहुंच के लिये अप्रार्थी संख्या 01 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 507/241 में से रिकार्डेड रास्ता खसरा संख्या 242 तक कायम करने के आदेश प्रदान किये जावें, उक्त रास्ते हेतु जो भी राशि श्रीमान द्वारा प्रार्थी को निर्वापित जायेगी उसे देने के लिये प्रार्थी तैयार एंव तत्पर है।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.09.2022 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 04.01.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के सभी तथ्य गलत होने से अस्वीकार है, प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय से तथ्य छिपाकर पेश किया गया है जबकि ग्राम फलौदा पटवार हल्का भोजियावास तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 241/1 जिसके वर्तमान खसरा संख्या 507/241 है तथा खसरा संख्या 242 जो कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ12(सी)/13/290 दिनांक 27.09.2013 के द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि है तथा भूमि के संबंध में अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाती है। यह वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विपरित पेश किया गया है जो कि खारिज योग्य है, यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से धारा 75 भू. राज.अधि. के तहत भी पेश नहीं किया जा सकता है तथा इस प्रार्थना पत्र में भी धारा 80 सी0पी0सी0 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 02.07.2024 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थीगणों की आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिये खसरा संख्या 507/241 में से रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0057 हैक्टेयर है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 5381/– अक्षरे पांच हजार तीन सौ इक्यासी रूपये मात्र बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 03.12.2024 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थीगणों की ग्राम फलोदा स्थित भूमि खसरा संख्या 506/238 आवागमन हेतु कोई अन्य निकटतम अथवा वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा प्रार्थीगणों को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है, तहसीलदार किशनगढ द्वारा पेश रिपोर्ट में अनुशंषा की गई कि प्रार्थीगणों की आराजी खसरा संख्या 506/238 में से आवागमन हेतु केवल खसरा संख्या 507/241 में से ही रास्ता है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

आवागमन के लिये खसरा संख्या 507/241 में से रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0057 हैक्टेयर (चौडाई 30 फीट) है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 5381/– अक्षरे पांच हजार तीन सौ इक्यासी रूपये मात्र बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

## आदेश

अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 अजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि खसरा संख्या 507/241 में प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0057 हैक्टेयर (चौडाई 30 फीट) भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर 471994/– रू0 प्रति हैक्टैयर के अनुसार निर्वापित राशि की दोगुणा राशि 5381/– रू0 अक्षरे पांच हजार तीन सौ इक्यासी रूपये होती है जो प्रार्थी द्वारा, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0057 भूमि का मुआवजा राशि 5381/– रू0 अक्षरे पांच हजार तीन सौ इक्यासी रूपये तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 4204 दिनांक 18.06.2024 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0057 हैक्टैयर (चौडाई 30 फीट) भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी संख्या 01 को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)